

मा.शि.बो.मान्यता-5 (1) 10000 (2007)

सेवा में

श्रीमान् सचिव महोदय,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
राजस्थान, अजमेर

महोदय,

हमारे विद्यालय को राजकीय आदेशों के तहत माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है बोर्ड से प्राप्त प्रपत्र "क" नियमानुसार दस्तावेजों / सूचनाओं के साथ अस्थायी मान्यता हेतु निवेदन किया जा रहा है -

1. हमारे विद्यालय का दूरभाष सम्पर्क संख्या है।
2. माध्यमिक स्तर का क्रमोन्नति आदेश संलग्न है।
3. अस्थायी मान्यता शुल्क/ विलम्ब शुल्क जमा करने की रसीद /डी.डी की फोटो कॉपी संलग्न है।
4. शिक्षा विभाग/ राज्य सरकार से प्राथमिक से स्तर की मान्यता हेतु जारी अस्थायी अनुज्ञा / अस्थायी मान्यता प्रमाण-पत्र /स्थायी मान्यता-पत्र की प्रति संलग्न है।
5. कक्षा 1 से 05 तक की छात्र/छात्राओं की कक्षावार संख्याओं का विवरण पत्र संलग्न है।
6. कक्षा कक्षों का एवं प्रयोगशालाओं की संख्याएवं माप विवरण संलग्न है।
7. विद्यालय भवन का नवीन निर्माण माप व खेल मैदान का नक्शा (ब्ल्यू प्रिंट) संलग्न है।
8. विद्यालय भवन का नवीन भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र संलग्न है।
9. बोर्ड नियमानुसार /राजकीय नियमानुसार स्थिर राशि / बालिका फाउन्डेशन की जमा राशि की रसीद संलग्न है।
10.
11.
12.

प्रधानाध्यापक/मंत्री/व्यवस्थापक
मय मोहर



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र (क)
राजकीय विद्यालयों के लिये

मान्यता क्रमांक -

माध्यमिक / प्रवेशिका स्तर की अस्थायी मान्यता हेतु आवेदन-पत्र

(यह प्रपत्र 'क' दो प्रतियों में समस्त दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार होगा)

सेवा में,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

मैं पद
विद्यालय (नाम मय पता)
.....

की ओर से निम्न विवरण के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर बोर्ड से माध्यमिक / प्रवेशिका स्तर की मान्यता हेतु निवेदन करता हूँ कि-

- (1) विद्यालय कक्षा 8 तक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। प्रमाण-पत्र संलग्न है।
- (2) विद्यालय को राज्य सरकार / शिक्षा विभाग ने क्रमोन्नति आदेश क्रमांक दिनांक के अनुसार कक्षा के लिये क्रमोन्नति आदेश जारी कर दिये हैं। इसकी प्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न है।
- (3) क्रमोन्नति आदेशों के अनुसार विद्यालय में तृतीय भाषा है एवं पढ़ाई का माध्यम है।
- (4) क्रमोन्नति आदेश के अनुसार कक्षा 9 वर्ष से आरम्भ कर दी है।
- (5) विद्यालय से निकटतम रेल्वे स्टेशन का नाम व दूरी
- (6) विद्यालय से निकटतम बस स्टैण्ड का नाम व दूरी
- (7) कक्षा 1 से 5 का अलग भवन / प्रबन्ध के तहत संचालन का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
- (8) कक्षा 6 से 10 का कक्षा / सेक्शनवार छात्र संख्या का विवरण संलग्न है।
- (9) कक्षा 9 से 10 की कुल छात्र संख्या के बराबर सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है / नहीं है।
- (10) छात्र / छात्राओं के लिये स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध है / नहीं है।
- (11) विद्यालय का नक्शा तथा भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र संलग्न है।
- (12) विद्यालय भवन में छात्रों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है / नहीं है।

घोषणा-पत्र

मैं संस्था / विद्यालय की ओर से अधिकृत होकर निष्ठापूर्वक घोषणा कर सहमति देता हूँ कि मैंने बोर्ड के मान्यता नियमों को पढ़ समझ लिया है और आवेदन-पत्र में दिया गया विवरण पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है तथा अपनी ओर से तथा संस्था की ओर से यह भी सहमति देता हूँ कि यदि विद्यालय को मान्यता दे दी जाती है तो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के वर्तमान व भविष्य में संशोधित होने वाले नियमों एवं अधिनियमों का पालन करता रहूँगा। बोर्ड यदि विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाता है तो कभी भी परीक्षा केन्द्र बनाने में असहमति देने का मुझे कोई अधिकार नहीं होगा। जितनी छात्र संख्या विद्यालय में दर्शायी गई है उतना सिंगल सीटेड फर्नीचर केन्द्र आवंटित होने पर उपलब्ध कराऊंगा और यदि नहीं करा पाता हूँ तो उसकी व्यवस्था विद्यालय खर्च पर ही करने की सहमति देता हूँ। इसके साथ ही यह भी सहमति देता हूँ कि यदि बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले छात्रों का प्रवेश विद्यालय की त्रुटि से फर्जी पाता है तो मैं व संस्था इसके लिये जिम्मेदार होंगे और इस कारण से बोर्ड विद्यालय की मान्यता निरस्त कर सकेगा।